तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स / एल.आर/ 3368/ 2001 / जोधपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर महादेव जी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकलपीठ</u>
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>
श्री खुर्शीद अहमद, राजकीय अभिभाषक ।

—

आदेश

दिनांकः—04.04.2022

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर, जोधपर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 26.02.2001 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, जोधपुर ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा 232 राजस्थान कारश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पाल के खसरा नंबर 171, 172 व 310 कुल रकबा 61.07 बीघा भूमि मिसल बंदोबस्त खतौनी संवत् 2011 से 2030 में डोली बनाम मंदिर श्री महादेवजी बहतमाम पुजारी बंशीधर के अंकित चली आ रही थी किन्तु इस भूमि में मंदिर का नाम राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने बिना सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश से स्वेच्छा से हटा कर पुजारी का नाम खातेदारी के रूप में विधि विरूद्ध राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया तथा इसका लाभ उठाकर पुजारियों द्वारा बिना किसी अधिकारों के अवैध रूप से उक्त मंदिर की भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 3368/ 2001 / जोधपुर** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर महादेव जी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का आगे से आगे विक्रय कर दिया तथा नामांतकरण संख्या 30, 157, 282, 433, 794 एवं 848 स्वीकृत करा लिया जबकि मंदिर की भूमि का पुजारी द्वारा विक्रय नहीं किया जा सकता है । अतः ऐसे अवैध कृत्य एवं विधि विरूद्ध हस्तातंरण के आधार पर पारित नामांतकरण संख्या 30, 157, 282, 433, 794 एवं 848 को निरस्त कर विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज करावें । उक्त प्रा0 पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.2.2001 द्वारा अनुशंषा करते हुए यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। पूर्व में भी उनको बहस हेतु पत्रावली अनुसार अंतिम अवसर दिए गए है तथा आज भी स्वंय बावजूद आवाज अनुपस्थित है । अतः उप राजकीय अधिवक्ता के निवेदन पर उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि मिसल बंदोबस्त खतौनी संवत् 2011 से 2030 में डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी अंकित चली आ रही थी लेकिन बाद में बिना किसी आदेश एवं बिना किसी नामांतकरण के विवादित भूमि से मंदिर का नाम हटा कर पुजारी के नाम खातेदारी से दर्ज कर दी गई जबकि मंदिर की भूमि की खातेदारी किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जा सकती है । इस गलत इंद्राज का लाभ उठाकर पुजारियों ने विवादित आराजियात का बैचान अन्यंत्र कर दिया जिसके आधार पर नामांतकरण संख्या 30, 157, 282, 433, 794 एवं 848 तस्दीक किये गये जो अवैध एवं विधिविरूद्ध होकर निरस्तनीय है तथा विवादित भूमि पुनः मंदिर के नाम दर्ज की जावे ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 3368/ 2001 / जोधपुर** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर महादेव जी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने योग्य उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मिसल बंदोबस्त खतौनी संवत् 2011 से 2030 के अनुसार विवादित भूमि खसरा नंबर 171, 172 व 310 कुल रकबा 61.07 बीघा डोली बनाम मंदिर श्री महादेवजी के नाम खातेदारी में दर्ज है । परन्तु तत्कालीन राजस्व कर्मचारिया द्वारा बिना किसी वैध आदेश एवं बिना किसी आधार के मंदिर का नाम हटाकर पुजारी का नाम खातेदारी के कॉलम में दर्ज कर दिया । तत्पश्चात् पुजारियों द्वारा अवैधानिक रूप से विवादित आराजियात का आगे हस्तातंरण कर दिया गया व अवैध नामांतकरण स्वीकृत कराये गये है । चूंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है तथा नाबालिग की भूमि अन्य को किसी भी रूप में स्थानातांरित नहीं की जा सकती है। अभिलेख से विवादग्रस्त आराजी मंदिर श्री महादेवजी की खातेदारी की होना स्पष्ट होता है, ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखत नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है । नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत्	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 3368/ 2001 / जोधपुर** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर महादेव जी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत नामांतकरण संख्या 30, 157, 282, 433, 794 एवं 848 निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री महोदवजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है । फलस्वरूप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पाल के खसरा नंबर 171, 172 व 310 कुल रकबा 61.07 बीघा भूमि जो राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण संख्या 30, 157, 282, 433, 794 एवं 848 अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई, उक्त नामांतकरण को निरस्त किया जाता है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर पुनः मंदिर श्री महादेवजी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(रामदयाल मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स / एल.आर/ 3368/ 2001 / जोधपुर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम मंदिर महादेव जी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए